

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा (राज.)

क्रमांक लेखा/2023-24/1031


दिनांक : 15-02-2024

निविदा सूचना संख्या 1031/2023-24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दौसा न्यायक्षेत्र के मुख्यालय बांदीकुई पर नवीन न्यायालय परिसर में सुलभ शौचालय के पास उपलब्ध कक्ष में फोटो स्टेट कार्य मय मशीन हेतु बन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अनुमानित मूल्य	अमानत राशि	निविदा शुल्क	अवधि	कार्य का विवरण
01	नवीन न्यायालय परिसर, बांदीकुई	6000 रु. वार्षिक	1000 रु.	200 रु.	1 वर्ष	फोटो स्टेट कार्य मय मशीन

इच्छुक निविदाकर्ता, इस कार्यालय से दिनांक 15.02.2024 से दिनांक 29.02.2024 को 11.00 ए.एम. तक उपस्थित होकर एवं निर्धारित निविदा शुल्क 200 रु. जरिये डी.डी. / बैंकर चैक "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा" के नाम का जमा करवाकर, निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकता है तथा भरी हुई निविदाएं दिनांक 29.02.2024 को 01.30 पी.एम. तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्त प्राप्त निविदाएं उसी तिथि को सांय 04.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर एवं इस कार्यालय में देखी जा सकती हैं।




अध्यक्ष, विल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा (राज.)

क्रमांक लेखा/2023-24/1032 to 1036

दिनांक : 15-02-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि निविदा प्रपत्र की कॉपी आपके कार्यालय से निर्धारित निविदा शुल्क जमा कर, दी जावे तथा गार्डफाईल्स दिनांक 21.12.21 के विन्दु संख्या 12 की पालना सुनिश्चित की जावे।
02. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा की सूचना समस्त सार्वजनिक कार्यालयों/संस्थाओं एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर लगवा कर सूचना इस समिति को प्रेषित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि निविदा प्रपत्र की कॉपी आपके कार्यालय से भी निविदा शुल्क जमा कर दी जावे। अंतिम तिथि तक प्राप्त निविदा शुल्क के चैक/डीडी अविलंब लेखा शाखा जिला न्यायालय, दौसा में भिजवाये जावें।
03. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को जिला न्यायालय की वेबसाइट व लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करें।
04. नोटिस बोर्ड, अदालत हाजा/न्यायालय परिसर, बांदीकुई




अध्यक्ष, विल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा (राज.)

—: निविदा के लिए आवश्यक शर्तें :-

1. भवन/जगह जहां है, जैसा है कि स्थिति में एक वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति पर देने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है।
2. निविदाएं विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी, जिन्हें इस कार्यालय से 200 रु. जरिये डी.डी. / बैंकर चैक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी।
3. निविदाएं बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "बांदीकुई नवीन न्यायालय परिसर में फोटो स्टेट कार्य मय मशीन हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।
4. निविदाएं दिनांक 29.02.2024 को समय दोपहर 1.30 बजे तक या उससे पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा उसी दिन सांय 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
5. अधिकतम किराये की दर प्रस्तुत करने वाली निविदा स्वीकार की जाएगी तथा किसी भी निविदा को या उस निविदा के किसी भाग को बिना कारण बताएँ रद्द किये जाने का पूर्ण अधिकार बिल्डिंग समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
6. विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. बिल्डिंग समिति द्वारा निविदादाता के अनुभव को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।
8. निविदा फार्म में अंकित विशिष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
9. बयाना राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा" के पक्ष में देय संलग्न करना होगा।
10. किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, शुल्क स्वयं निविदादाता द्वारा देय होगा। अतः दरें समस्त कर व शुल्क सहित प्रस्तुत करें।
11. उक्त कार्य का आवंटन एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा तथा इस अवधि को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया भी जा सकेगा।
12. सफल निविदादाता को नियमानुसार लाईसेंस फीस की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा के पक्ष में जमा करवाना होगा तथा अनुबन्ध पत्र 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करवाना होगा।
13. निविदा स्याही या बालपेन या टंकण से भरी जावे। पेन्सिल से भरी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राइटिंग/कटिंग पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।
14. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।
15. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के प्रावधान उक्त निविदा पर लागू होंगे।
16. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र दौसा होगा।
17. अमानत राशि डी.डी./बैंकर चैक के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
18. (1) निविदादाता को फोटोस्टेट मशीन संचालन से पूर्व फोटो कॉपी की दरें बिल्डिंग समिति को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करनी होंगी।
(2) बिल्डिंग समिति द्वारा समय समय पर अनुमोदित मूल्य से अधिक पर फोटोकॉपी का कार्य नहीं किया जावेगा।
(3) आवंटित कक्ष में फोटोकॉपी कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं किया जावेगा एवं संविदा करने के पश्चात् बिल्डिंग समिति द्वारा अनुमोदित फोटोकॉपी दरें, कक्ष के बाहर डिस्पले करनी होगी।
19. सफल निविदादाता को निर्धारित लाईसेंस फीस का 1/4 भाग तुरन्त जमा कराना होगा, शेष भाग अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमा कराना होगा।



20. आवंटित कक्ष में सर्विस कण्डीशन, सुरक्षा, बीमा इत्यादि की कानूनी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।
21. संचालनकर्ता को बिल्डिंग समिति द्वारा आवंटित कक्ष में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उपलब्ध कराया जावेगा एवं विद्युत बिल संविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
22. आवंटित कक्ष में फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना संविदादाता द्वारा स्वयं के स्तर पर व्यवस्था की जावेगी।
23. संचालनकर्ता द्वारा की जाने वाली फोटो कॉपी साफ सुथरी एवं अच्छी क्वालिटी के पेपर पर ही करनी होगी।
24. संविदादाता को आवंटित कक्ष में कोई स्थायी ढांचागत परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।
25. संविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि फोटोकॉपी मशीन के संचालन के दौरान सुरक्षा एवं सेफ्टी का ध्यान रखेगा।
26. संविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के उल्लंघन पर बिल्डिंग समिति को निविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।
27. संविदादाता द्वारा संविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड बिल्डिंग समिति द्वारा आरोपित भी किया जा सकता है।
28. फोटोस्टेट कक्ष में कार्य करने वाले कर्मियों की सेवा शर्तें, सुरक्षा, बीमा आदि वर्तमान में कार्मिकों को नियन्त्रित करने वाले कानून के अनुसार होगी, ऐसा न करने की सूरत में आवंटि के विरुद्ध उचित कदम उठाये जा सकते हैं। अनुबन्ध निरस्त भी किया जा सकता है।
29. अनुबन्ध (Agreement) बिना कोई कारण बताये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रद्द या समाप्त किया जा सकेगा।
30. अनुबन्ध की समयावधि पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जावेगा।
31. अनुबन्ध समाप्त होने पर 07 दिवस में आवंटित भवन/जगह खाली करनी होगी।
32. कार्य के घण्टे कार्यालय समय से एक घण्टा पहले व एक घण्टा बाद तक का रहेगा।
33. अन्य शर्तें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थाई आदेश क्रमांक 14/एस.ओ./2021 दिनांक 21.12.2021 से जारी Guidelines for Allotment के उपबन्ध व संलग्न परिशिष्टों में वर्णित/विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तें लागू होंगी एवं अनुज्ञप्ति उक्त उपबन्ध व शर्तों एवं निविदा के साथ लगे अनुलग्नकों के अनुसार होगी।
34. निविदादाता को उक्त वर्णित सभी शर्तों पर अपनी सहमति देनी होगी।



अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा (राज.)